(2008) 5 एस.सी.आर. 1200

सोहन राज शर्मा

बनाम

हरियाणा राज्य

(क्रिमिनल अपील नंबर-1464/2007)

अप्रैल 07, 2008

[डा॰. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

दण्ड संहिता, 1860 : धारा 306- आत्महत्या का दुष्प्रेरण- पत्नि द्वारा आत्महत्या- पति के खिलाफ आरोप कि वह या॰न विकृत और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था- विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की गयी- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया- आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामलों में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या हेतु उकसाने का सबूत होना चाहिए- केवल मात्र यह तथ्य कि पति पत्नि के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था, पर्याप्त सबूत नहीं है- मामले के तथ्यों में अपराध बनना नहीं पाया जाता- इसलिए दोषमुक्त किया गया।

धारा 107 और 109- दुष्प्रेरण- कारित किए जाने के तत्व- विचार किया गया।

शब्द और वाक्यांश- उकसाना- धारा 107 भारतीय दण्ड संहिता के संदर्भ में अर्थ।

अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट- अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेप कि वह ऐसी परिस्थितियां पैदा/उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी था, जिससे उसकी पत्नि जहर खाने के लिए मजबूर हुयी, जिससे उसकी मृत्यु हुयी। उक्त आक्षेपों का आधार पीडिता/मृतका

द्वारा लिखा गया एक पत्र था, जिसमें उसने उललिखित किया कि उसने स्वयं व अपने दो बच्चों को जहर इसलिए खिलाया, क्योंकि उसका पति उसे विकृत तरीकों से यौन संबंध बनाने के लिए प्रताडित करता था। अभियुक्त का धारा 306 भादंसं के अंतर्गत विचारण किया गया। विचारण न्यायालय ने उसे दोषी पाया और दोषसिद्ध किया। इसलिए हस्तगत अपील प्रस्तुत हुयी।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अवधारित किया-

1.1 हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को यौन विकृत दर्शाया गया है, और उसके द्वारा पशुवत् व्यवहार किया गया है, पीडिता द्वारा उससे अपमानजनक तरीके से व्यवहार को सहन किया गया है।

उन्होंने न्यायालय में विवाह कारित किया था। यह कथित किया गया है कि अभियुक्त नपुसंक था और वह अन्य औरतों के साथ संबंध रखते हुए पीडिता का अपमान करने की कोशिश करता था। मामले के तथ्यों के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 306 भादंसं के तत्व प्रमाणित होते हों। इसलिए अभिनिर्धारित दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता। [पैरा 12 और 14] [1206 बी, सी,एफ,जी,]

1.2 न्यायालय को यह अभिनिर्धारण करने में कि क्या पीडिता के प्रति क्रूरता इस स्तर की थी कि पीडिता द्वारा आत्महत्या कर उसके जीवन को समाप्त किया गया, इसके निर्धारण में न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्य-परिस्थितियों व विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य का बहुत अधिक सतर्कता से अभिनिर्धारण करना चाहिए। यदि न्यायालय को मालूम चले कि आत्महत्या करने वाली पीडिता जिस सामान्य समाज से आती है, उसमें होने वाले- सामान्य बदमिजाजी प्रतिकूल घरेलू जीवन की भिन्नता के प्रति पीडिता अत्यधिक संवेदनशील थी और इस प्रकार की बदमिजाजी, प्रतिकूलता व भिन्नता के प्रति अपेक्षायें सामान परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति से आत्महत्या करने

की अपेक्षायें नहीं करती, तो न्यायालय की अंतर्चेतना अभियुक्त के प्रति आत्महत्या के उकसावे के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने की संतुष्टि का आधार नहीं हो सकती। [पैरा 9] [1205-ए,बी, सी,डी]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जेशवाल एआईआर 1994 एससी 1418- विश्वास व्यक्त किया गया।

1.3 आत्महत्या के उकसावे के आक्षेप संबंधी मामलों में आत्महत्या हेतु उत्प्रेरित किए जाने का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सबूत होना आवश्यक है। केवल यह तथ्य कि पति- पीडिता के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था, पर्याप्त नहीं है।

[पैरा 11] [1206-ए]

महिंद्र सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1995 एआईआर एससीडब्ल्यू 4570- में उल्लेखित किया गया।

2. धारा 107 भारतीय दण्ड संहिता किसी चीज के दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है। दुष्प्रेरण का अपराध पृथक व अलग अपराध है।

जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है (1) जब वह किसी भी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है; व (2) उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियाेंं के साथ शामिल होता है; या (3) उस कार्य को करने में जानबूझकर किसी कृत्य या अवैध चूक द्वारा बाधा डालना। यह सभी संघटक किसी अपराध के लिए उकसाने के लिए आवश्यक हैं। उकसाना शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, भडकाना या उकसाने के लिए प्रेरित करना। दुष्प्रेरणा उकसावे, साजिश या जानबूझकर सहायता द्वारा हो सकता है, जैसा कि धारा 107 के तीन खंडों में प्रदान किया गया है। धारा 109 में यह प्रावधान है कि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया है और ऐसे दुष्प्रेरण के लिए

दण्ड का कोई प्रावधान नहीं है, तो अपराधी को मूल अपराध में दुष्प्रेरित का अर्थ है दुष्प्रेरित विशिष्ट अपराध। इसलिए जिस अपराध के लिए उकसाने का आरोप किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है वह आमतौर पर सिद्ध अपराध से जुडा होता है। [पैरा 10] [1205-डी, ई, एफ, जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: क्रिमिनल अपील संख्या-1464/2007

पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ की क्रिमिनल अपील संख्या-419-एसबी/1993 के अंतिम निर्णय दिनांकित 09.01.2007

बी.डी. शर्मा अपीलकर्ता के लिए।

राजीव गौर 'नसी' .वी.जोर्ज प्रत्यर्थी के लिए।

निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

डा॰ अरिजीत पसायत, जे.

1. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में, आईपीसी) की धारा 306 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और 7 वर्ष की सजा को बरकरार रखा गया है।

2. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:

श्री राजीव लोचन जैन (पीडब्ल्यू-04) द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से की थी कि ज्योति (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) ने अपने पत्र में यह लिखा था कि उसके पति सोहन राज शर्मा (आरोपी)- अपीलकर्ता उसे सेक्स के लिए कई अलग-अलग तरीकों से प्रताडित कर रही थी, ज्यादातर विकृत तरीके से और उसी से तंग आकर उसने अपने बच्चों को जहर दे दिया था और खुद भी जह खा लिया था।

एफआईआर का आशय यह है कि अपीलकर्ता सोहन राज शर्मा के द्वारा पैदा की गयी परिस्थितियों के कारण ज्योति को जहर खाने के लिए मजबूर किया गया था। श्री राजीव लोचन जैन (पीडब्ल्यू-04) के एक्स.पीएल/1 के बयान पर जाँच अधिकारी एएसआऔ रोहताश सिंह (पीडब्ल्यू-10) का पहला समर्थन एक्स.पीएल/1 है और यह दर्शाता है कि उसके बी.के. अस्पताल फरीदाबाद में अन्य पुलिस अधिकारियें से पहुँचने पर श्री राजीव लोचन जैन ने एक पत्र (एक्स.पीएक्स) आठ पन्नों, जो पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया मीमो एक्स.पीएम. और श्री राजीव लोचन जैन के बयान व उक्त पत्र जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, से प्रतीत होता है कि सोहन राज शर्मा द्वारा धारा 306 आईपीसी के तहत उक्त अपराध का आरोप बनता है। कथन एक्स.पीएल/1 कथन उदा.पीएल को पृष्ठांकन एक्स.पीएल/1 के साथ मामले के पंजीकरण के लिए पुलिस स्टेशन भेजा गया था, जिस पर औपचारिक एफआईआर दर्ज की गयी थी। जाँच के दौरान ज्योति पिंकी और गुडिया की मौत जहर के सेवन से होने के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य सामने आए। इसके अलावा घटना से जुडी परिस्थितियों के संबंध में गवाहों के पत्र (एक्स.पीएक्स) और अन्य मौखिक साक्ष्यों के संबंध में रिपोर्ट एकत्र की गयी। आरोपी सोहन राज शर्मा पर आईपीसी की धारा 306 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया, पुलिस ने उसका चालान कर दिया और इलाका मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमें के लिए सत्र न्यायालय में भेज दिया गया।

3. अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की और कई दस्तावेज प्रदर्शित किये, सबसे महत्वपूर्ण कथित आत्महत्या नोट एक्स.पीएक्स है। अपीलकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (कोड के लिए) की धारा 313 के तहत परीक्षा के दौरान यह रूख अपनाया कि उसने अधिकारिक तौर पर मृतक से कभी शादी नहीं की थी। यह आरोप भी लगाया कि वह समलैंगिक थी और इस रूख के प्रमाण में, अनीता परमार की डी.डब्ल्यू-1 के रूप में जाँच की गयी थी। ट्रायल कोर्ट ने एक्स.पीएक्स. की कंटेंट को

आईपीसी की धारा 306 के संघटक अंग से संतुष्ट पाया। तद्नुसार अपीलकर्ता को दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनायी गयी।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनाए गए रूख को दोहराया गया कि आईपीसी की धारा 306 की संघटक अंग पूरी नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष का रूख यह था कि सामग्री स्थापित कर ली गयी है।

5. उच्च न्यायालय ने पाया कि एक्स.पीएक्स यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि मृतक द्वारा आत्महत्या करने का कारण क्या था।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पत्र एक्स.पीएक्स किसी भी तरह से यह स्थापित नहीं करता है कि अपीलकर्ता ने आत्महत्या के लिए उकसाया था। वस्तुतः यह तथ्य कि मृतिका ने दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी और आत्महत्या कर ली, बिना किसी संदेह के यह स्थापित करता है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। पत्र में अधिक से अधिक आरोपी को यौन विकृत व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन उसके व्यवहार, यदि कोई हो, को आत्महत्या के लिए उकसाने का कार्य नहीं माना जा सकता है। यह इंगित किया जाता है कि एक्स.पीएक्स में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपीलकर्ता की जान लेना चाहती थी।

7. दूसरी ओर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने निचली अदालतों के फैसले का समर्थन किया।

"आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के उकसाने से संबंधित है।

उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए

कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे दस साल तक बढाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।"

8. दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी कार्य को करने में जानबूझकर उस व्यक्ति को सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है। साजिश के मामले में भी इसमें उस चीज को करने के लिए साजिश में शामिल होने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होगी। अधिक सक्रिय भूमिका जिसे किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध करने के लिए उकसाने या उकसाने से पहले आवश्यक कार्य में सहायता करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

9. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जयसवाल[1] में इस न्यायालय ने देखा है कि अदालतों को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और मुकदमे में पेश किए गए सबूतों का आकलन करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में पीड़ित के साथ हुई क्रूरता इस प्रकार की थी कि वह आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर ले। यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि आत्महत्या करने वाला पीड़ित घरेलू जीवन में सामान्य अशांति, कलह और मतभेदों के प्रति अतिसंवेदनशील था, जो उस समाज में काफी आम है, जिसमें पीड़ित था और इस तरह की चिड़चिड़ाहट कलह और मतभेदों से उसी समाज के एक समान परिस्थिति वाले व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह आत्महत्या कर ले, न्यायालय की अंतरात्मा को इस निष्कर्ष पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के अपराध के लिए दुस्प्रेरित करने के आरोपी को दोषी पाया जाना चाहिए।

10. आईपीसी की धारा 107 किसी चीज के लिए दुस्प्रेरण को परिभाषित करती है। दुस्प्रेरण का अपराध एक अलग और विशिष्ट अपराध है जो अधिनियम में एक अपराध के रूप में प्रदान किया गया है। एक व्यक्ति, किसी कार्य को करने के लिए

1

दुस्प्रेरण करता है जब (1) वह किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए उकसाता है; या (2) उस चीज़ को करने के लिए किसी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ शामिल होता है; या (3) जानबूझकर उस कार्य को करने में कार्य या अवैध चूक द्वारा सहायता करता है। दुष्प्रेरण को अपराध मानने के लिए ये बातें आवश्यक हैं। "उकसाना" शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए उकसाना, आग्रह करना या अनुनय-विनय करना। जैसा कि धारा 107 के तीन खंडों में प्रदान किया गया है, दुष्प्रेरण की कार्रवाई उकसावे, साजिश या जानबूझकर सहायता से हो सकती है। धारा 109 में प्रावधान है कि यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया है और ऐसे दुष्प्रेरण के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है, तो अपराधी को मूल अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित किया जाएगा। धारा 109 में 'दुष्प्रेरित' का अर्थ है दुष्प्रेरित विशिष्ट अपराध। इसलिए, जिस अपराध के लिए उकसाने का आरोप किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, वह आम तौर पर सिद्ध अपराध से जुड़ा होता है।

11. कथित आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए। केवल यह तथ्य कि पति ने मृत पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, पर्याप्त नहीं है। [महिंदर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य][2]

12. जब तथ्यात्मक परिदृश्य की जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट होता है कि आरोपी को एक यौन विकृत व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है और उसने एक जानवर की तरह व्यवहार किया था और मृतक ने उसके अपमानजनक व्यवहार को सहन किया था। उनकी शादी कोर्ट में हुई थी। बताया गया कि आरोपी नपुंसक था और वह महिलाओं से संबंध रखने के कारण मृतक को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था।

---

2 1995 एआईआर एससीडब्ल्यू 4570

13. मृतक ने जो पत्र लिखा था उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार है:

"मैं तुम्हें भी हमारे साथ मारना चाहता था, लेकिन नहीं, अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो तुम घटनाओं के क्रम के परिणामस्वरूप मर जाओगे। लेकिन बेशर्म व्यक्ति के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर तुम्हें अपनी क्षमता का एहसास होगा तो ये दुर्व्यवहार सही लगेगा।" आपने आठ साल की अवधि में आठ दिन भी मेरे साथ शांति से नहीं बिताए। इन बच्चों की मौत के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपके परिवार के देवताओं से फूलों की प्रार्थना की गई थी जिनके बारे में आपने खुलासा किया था "वे नहीं हैं मेरे, वे मेरे दोस्त से मेरे साथ हैं (गर्ल फ्रेंड) आप, उस दिन की निंदा करते हैं जब औरत का औरत के साथ रेहने परिणामस्वरूप बच्चे पैदा होंगे, औरत तुम्हारे जैसे मर्द को जन्म देना बंद कर देगी।"

14. उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य से यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 306 आईपीसी के संघटक स्थापित किए गए है। इसलिए अभिलिखित दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता। उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है। जब तक किसी अन्य मामले के संबंध में आवश्यक न हो, अपीलकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।